न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 23 / 2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गोमाराम पुत्र हिमथाराम जाति जाट निवासी मीठीसर, बोला तहसील व जिला बाडमेर।		1 गंगाराम पुत्र देदाराम 2 मगाराम 3 जोगाराम पिसरान प्रागाराम जाति जाट निवासी मिठीसर, बोला तहसील व जिला बाडमेर 4 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री कुंभाराम चौधरी, वकील प्रार्थी।

2. श्री सुनिल मेराजा, वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 12-3-21

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मिठीसर पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 124 / 58 रकबा 29.13 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 178 / 57 रकबा 13.01 बीघा व खसरा संख्या 121 / 57 रकबा 13.01 बीघा भूमि में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के वकील उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ. / 2020 / 843 दिनांक 19.06.2020 द्वारा रासते हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करवाई।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके खेत से प्रार्थी की भूमि पर जाने हेतु एक मार्ग विद्यमान है। उक्त मार्ग का मौका रिपोर्ट में उल्लेख नही है। उक्त मार्ग न्यूनतम दूरी का है, जिसे मार्ग के रूप में निर्धारित किया जाता है तो अन्य पड़ौसी खातेदारों को भी इसका लाभ मिलेगा। वकील अप्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शा में आसमानी रंग से दर्शाये अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया, जो खसरा संख्या 121 / 57 के सेढे से होकर गुजरता है जिसकी लम्बाई करीबन 175 मीटर है जबकि खसरा संख्या 121 / 57 व 178 / 57 के सेढे से गुजरने वाला रास्ता जो नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसकी लम्बाई करीबन 216–217 मीटर है। आसमानी रंग से दर्शाया गया

उप खण्ड अधिकारी

रास्ता न्यूनतम दूरी का है जिसे कायम किये जाने पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का आपति नही है।

वकील प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते पर सहमति प्रकट की।

अतः उभय पक्षों की सहमति के मद्देनजर मौजा मिठीसर पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 124/58 रकबा 29.13 बीघा भूमि में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की भूमि में से सरकारी मार्ग तक पहुचने हेतु भूमि, जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में वरंग आसमानी दर्शाई गई है। उक्त भूमि की लम्बाई 175 मीटर है तथा चौड़ाई 12 फीट है। तहसीलदार बाडमेर उक्त भूमि का रकबा एवं डीएलसी दर की दूगुनी राशि निर्धारित कर प्रार्थी को अवगत करवायेंगे। प्रार्थी उक्त राशि राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में परिशिष्ठ–अ में दर्शाये आसमानी रंग की भूमि को रास्ते के रूप में अमल दरामद करावें तथा राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को करे। लठा ट्रेस मे तरमीम करावे। अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 12-3-21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर